अभिलेख उपस्थापित।

इन्द्रदीप नारायण, पिता–केदार ठाकुर, ग्राम–कुम्हारटोली आश्रम रोड़ वार्ड नं0 29, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा अंचल–सदर, ग्राम–हजारी, थाना नं0–141, खाता संख्या–29, प्लॉट संख्या–390, रकवा–03 डी0 भूमि रजनी देवी, पति–मोहन कुमार ठाकुर, निवास स्थान–हाउस नं0–1 हनुमान मंदिर के पस कुम्हारटोली, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 48/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता रजनी देवी एवं विक्रेता इन्द्रदीप नारायण पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की एवं दरसनी राम वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी–II के पृष्ट सं0 138/VI पर गुरुसहाय राम के नाम जमाबंदी कायम है। आवेदक जमाबंदी रैयत का पौत्र है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत है। प्रतिवेदन के साथ वंशावली संलग्न किया गया है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता इन्द्रदीप नारायण का अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHLRCO/2020/64325 दिनांक–05.03.2020 एवं अंचल अधिकारी, सदर द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCBC/2020/54178, दिनांक–29. 02.2020 और क्रेता रजनी देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2018/441252, दिनांक–21.07.2018 एवं अंचल अधिकारी, माण्डू, रामगढ़ द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	JHCC/2018/1414434 दिनांक-31.10.2018 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जॉंच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-हजारी, थाना नं0-141, खाता संख्या-29, प्लॉट संख्या-390, रकवा-03 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
	लेखापित एवं संशोधित
	अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।
	अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.03 15:07:06 +05:30
Location: 192.168.100.2